संख्या-103/2021/961/22-4-2021-48(7)/17

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-03 नवम्बर, 2021

विषयः- कारागार भोजनालयों के आधुनिकीकरण हेतु मशीनों, उपकरणों एवं सामग्री की व्यवस्था हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 800.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15708/आधु-01/पाकशाला/2021-22, दिनांक-01 जुलाई, 2021 एवं पत्र संख्या-21179/ड्रोन कैमरा/2021-22, दिनांक-16 अगस्त, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया कारागार भोजनालयों के आधुनिकीकरण हेतु मशीनों, उपकरणों एवं सामग्री की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 800.00 लाख में से निम्नलिखित विवरणानुसार ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु 800.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत की शतप्रतिशत धनराशि रू0 8,00,00,000/- (रूपया आठ सौ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्र0	सामग्री का नाम	कारागारों की मांग	दर प्रति नग	कुल लागत
1	आटा गूंथने की मशीन (50 कि0ग्रा0)	26	68250	1774500
2	चपाती मेकर (1000 रोटी प्रति घंटा)	4	892500	3570000
3	चपाती मेकर (3000 रोटी प्रति घंटा)	25	1260000	31500000
4	गेहूं छानने की मशीन (हैवी ड्यूटी)	69	61400	4236600
5	टिल्टिंग ब्रेसिंग पेन/राइस ब्वायलर (200 लीटर)	26	127680	3319680
6	टिल्टिंग ब्रेसिंग पेन/राइस ब्वायलर (300 लीटर)	35	157290	5505150
7	03 कम्पार्टमेंट बैन मेरी (200 लीटर प्रति कम्पाट्रमेंट)	22	156450	3441900
8	वेजिटेबल कटिंग मशीन (150 कि0ग्रा0 प्रति घंटा)	20	71400	1428000
9	मसाला पीसने हेतु मिक्सर ग्राइन्डर (हैवी ड्यूटी) 1.5 एचपी	66	65000	4290000
10	पोटेटो पिलर (25 कि0ग्रा0)	16	69825	1117200
11	एसएस कैशरोल (2000 रोटी)	174	12495	2174130

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	चाय का कन्टेनर (20 लीटर)	132	4575	603900
13	एसएस भगौना (100 लीटर)	81	20475	1658475
14	एसएस भगौना (200 लीटर)	79	25489	2013631
15	एसएस कढाई (100 लीटर)	62	28875	1790250
16	एसएस कढाई (200 लीटर)	33	36225	1195425
17	फूड पैन ट्राली हैवी व्हील	15	39060	585900
18	मसालों हेतु ताला युक्त बाक्स	22	14175	311850
19	तेल रखने हेतु तालायुक्त कन्टेनर (15 लीटर क्षमता)	24	10290	246960
20	दाल हण्डा (200 लीटर)	98	12075	1183350
21	किचन डस्टबीन (100 लीटर)	232	7147	1658104
22	हैवी स्टैब्लाइजर (50 केवीए)	25	124950	3123750
23	पैनल व अर्थिंग का कार्य	24	86625	2079000
24	एग्जास्ट फैन (1400 आरपीएम)	185	6510	1204350
			योग-	**80012105**

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित उपकरण/सामग्री स्वीकृत धनराशि रू0 800.00 लाख (रूपया आठ सौ लाख मात्र) की सीमा में ही क्रय किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(3) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई / महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(5) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तगत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(6) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा ।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-21-कारागारों के पाकशालाओं का आधुनिकीकरण--26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-12-214(ई0ओ0)/दस-2021 दिनांक-02-11-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-103/2021/961/22-4-2021, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।